बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या 5558 /कृ0, पटना, दिनांक 10-12-2014

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव, कृषि विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/
सभी जिला कृषि पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **जिला कृषि कार्यालयों के निरीक्षण संबंधी सामान्य दिशानिर्देश।**

महाशय,

विभागीय पत्रांक 5323 दिनांक 26.11.2014 द्वारा सभी जिला कृषि कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित करके संसूचित किया गया है जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से सभी कार्यालयों का निरीक्षण होना है।

2. दिनांक 06.12.2014 को जिला कृषि कार्यालय, पटना, अरवल, नवादा, गोपालगंज, समस्तीपुर एवं किशनगंज का निरीक्षण विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया है।

3. निरीक्षण प्रभावी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी प्रभावी तरीके से अग्रिम तैयारी करें। प्रथम दिन के निरीक्षण के अनुभवों के आधार पर निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं जिनका अनुपालन संबंधित जिला कृषि कार्यालय के निरीक्षण के पूर्व अनिवार्य रूप से कर लिया जाय :–

(i) **योजनावार बैंक खाता का संधारण** :–

ऐसा देखा गया है कि एक योजना की धनराशि एक से अधिक बैंक खातों में रखी गयी है, जो उचित नहीं है। सुनिश्चित करें कि अलग–अलग योजनावार बैंक खाते संधारित हो।

(ii) **असमायोजित अग्रिम के समायोजन हेतु अभियान** :–

निरीक्षण के क्रम में पटना जिले में 4.57 करोड़ रूपये (चार करोड़ संतावन लाख रूपये) एवं समस्तीपुर जिले में 1.78 करोड़ रूपये (एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) का असमायोजित अग्रिम पाया गया। इस तरह के दृष्टांत अन्य जिलों में भी हो सकती है। यह स्थिति बिल्कुल अक्षम्य है। जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि निरीक्षण की तिथि के पूर्व असमायोजित अग्रिम के समायोजन हेतु विशेष अभियान चलाकर समायोजन सुनिश्चित किया जाय। जिन मामलों में समायोजन नहीं हो पाता है, उन मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई की जाय ताकि सरकारी राशि का गबन/दुर्विनियोग नहीं हो।

(iii) **बैंक खातों में निधि की अनधिकृत Parking को समाप्त करना** :–

ऐसा देखा गया है कि कई सहायक रोकड़ बहियों में ऐसी राशि है जिससे संबंधित योजना चल ही नहीं रही है, फिर भी पुरानी योजना की राशि सहायक रोकड़ बही में दर्शायी गयी है और बैंक खातों में संधारित है। वैसी राशि, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष के अंतर्गत नहीं होना है, उसे निरीक्षण की तिथि के पूर्व कोषागार के संबंधित खाते में जमा

कराना सुनिश्चित किया जाय। जो राशि बामेती से प्राप्त हुई है उसे बामेती को वापस कर दें।

(iv) <u>कोषागार से अग्रिम निकासी कर बैंक खाता में राशि रखना निषेध</u> :–

यह सामान्य सिद्धांत है कि कोषागार से राशि तभी निकासी की जानी है जब उसके व्यय करने की आवश्यकता है। वर्तमान निर्देशों में यह स्पष्ट है कि कोषागार से राशि की निकासी डी०सी० विपत्र पर ही की जानी है जिसमें लाभान्वित किसानों की पूर्ण सूची लगानी होती है। स्पष्टतः कोषागार से राशि निकासी करके भुगतान पाने वाले व्यक्ति के खाते में राशि हस्तांतरित हो जानी चाहिए। बैंक खाते में, जिला कृषि कार्यालय में राशि रहने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी निरीक्षण के क्रम में यह देखा गया है कि अत्यंत बड़ी राशि, जिला कृषि कार्यालयों के बैंक खातों में रखी हुई है, जो वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का पालन हो। पूर्व से जो राशि निकालकर बैंक खाते में रखी गयी है, उसे अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों को भुगतान किया जाय। निरीक्षण की तिथि के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय।

(v) <u>कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम में भुगतान में शिथिलता</u> :–

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि अरवल, नवादा, गोपालगंज एवं समस्तीपुर जिलों में कृषि यांत्रिकीकरण के पात्र लाभान्वितों के मामले में अनुदान का भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश कृषि यांत्रिकीकरण के कार्यान्वयन अनुदेश में दिया जा चुका है। अभियान चलाकर, जिन किसानों को यंत्र दिये जा चुके हैं, उनके मामले में अनुदान का भुगतान निरीक्षण की तिथि के पूर्व जाँच कराकर कर लिया जाय।

(vi) <u>निरीक्षण टिप्पणी अग्रिम तौर पर निरीक्षणकर्त्ता को उपलब्ध कराना</u> :–

जिला कृषि पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे निरीक्षण की तिथि के तीन दिन पूर्व प्रारूप निरीक्षण टिप्पणी संबंधित निरीक्षणकर्त्ता पदाधिकारी को भेज दें ताकि वे तैयार होकर आयें। ऐसा होने से निरीक्षण में गुणवत्ता बनी रहेगी।

विश्वासभाजन

10.12.14

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 5558 दिनांक 10-12-2014

प्रतिलिपि :– जिले के सभी नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

10.12.14

प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 5558 दिनांक 10-12-2014

प्रतिलिपि :– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.12.14

प्रधान सचिव, कृषि विभाग